प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.10.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19 कट्टो में कुल 50 पैकेट सुतली बम अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 08.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त राहुल पुत्र नत्थीमल निवासी मौहल्ला पठानान मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 19 कट्टो में कुल 50 पैकेट सुतली बम अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा-9बी(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी किराये की दुकान में चोरी-छिपे अवैध पटाखे बनाने व बेचने का कार्य कर रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राहुल पुत्र नत्थीमल निवासी मौहल्ला पठानान मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 19 कट्टो में कुल 50 पैकेट सुतली बम अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 30.09.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष घर से बिना बताये चली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मसूरी पर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा मेडीकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी जिसमें अभियुक्त प्रिन्स पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गौढरा थाना खेकडा जिला बागपत हाल पता ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 09.10.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त प्रिन्स पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गौढरा थाना खेकडा जिला बागपत हाल पता ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को भूडगडी बम्बे के पास जेल चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं विगत 03 महीने से पीडिता से बातचीत करता था। इसके बाद मेरी पीडिता से फोन पर बातचीत होने लगी, मौका पाकर मैं पीडिता को अपने साथ लेकर चला गया था तथा मैंने पीडिता के साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

प्रिन्स पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गौढरा थाना खेकडा जिला बागपत हाल पता ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.2025 की रात्रि में रफीकाबाद फाटक के पास की गयी आसिफ की हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तगण (04 पुरुष 01 महिला) को मय 03 तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया।

दिनांक 07.10.2025 को शाम करीब 8.15 बजे मृतक आसिफ उर्फ गुल्लू पुत्र अकबर निवासी वार्ड न0-04 भडभूजे वाली गली जुमा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद स्कूटी से जा रहा था तो रफीकाबाद फाटक के पास उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री भूरे उर्फ अनवर पुत्र अकबर निवासी वार्डन0-04 भडभूजे वाली गली जुमा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1.रिहान पुत्र इलियास 2.बिलाल पुत्र कय्यूम 3.फरमान पुत्र इलियास निवासीगण डासना थाना वेवसिटी गाजियबाद व 2-3 नाम पता अज्ञात के विरूद्व तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0-337/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रिहान आदि पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया जिसमें साक्ष्य के आधार पर जिशान पुत्र असलम निवासी वार्ड न0-03 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी व उवैश पुत्र अशरफ निवासी पुरानी चुंगी कोटला मेवातियान हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड हाल पता वार्ड न0-03 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद व गुलफाम, दानिश निवासी उस्मान कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद व मृतक आसिफ की पत्नी अरशी के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आये। साक्ष्य संकलन एकत्र करते हुये मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1.**रिहान पुत्र इलियास निवासी पुरानी पैठ वार्ड न0 3 रामा चौक डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को दिनांक- **08.10.2025** व 2.बिलाल पुत्र कय्यूमनिवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी 3.जीशान पुत्र असलम निवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी 4.उबैश पुत्र असरफ निवासी पुरानी चुंगी हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड 5.अरसी उर्फ प्राची पत्नी आसिफ निवासी भडभूजो वाली गली मयूर विहार डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दिनांक **09.10.2025** को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर 3(5)/61(2) बीएनएस की वृद्वि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी रिहान द्वारा घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि मैं चिकन की दुकान वार्ड न0-03 पुरानी पैठ में चलाता हूं तथा मृतक आसिफ उर्फ गुल्लू को पिछले करीब 03 साल से जानता था जब वह मेरे मौहल्ले मे ही रहता था तब से मेरी जान पहचान थी। **मृतक आसिफ पर**

पूर्व के कई मुकदमें है तथा वर्ष मार्च 2024 में मृतक आसिफ मुकदमे मे जेल चला गया था। उस दौरान मेरी जान-पहचान व बातचीत मृतक की पत्नी अरशी से हो गयी और मेरा उसके घर आना जाना हो गया और हम दोनों एक साथ रहने का प्लान बनाने लगे इसी दौरान अप्रैल 2025 को मृतक आसिफ की जमानत होकर वह जेल से बाहर आ गया था तो हम लोगो के मिलने जुलने में परेशानी होने लगी। जब मृतक आसिफ घर पर नही होता तो मै अरशी से मिलने घर पर चला जाता था इसकी जानकारी मृतक आसिफ को

धीरे धीरे लग गयी और एक बार मृतक आसिफ ने मुझे अरशी के साथ पकड भी लिया था तो मेरी और मृतक आसिफ के साथ कहासुनी व वाद विवाद भी हो गया था। इसके बाद मृतक आसिफ ने अरशी का मोबाइल भी उसके पास रखना बन्द कर दिया था और अरशी को भी परेशान करने लगा था। अरशी ने चोरी छिपे इसकी जानकारी मुझे दी और कहा अगर हमे साथ रहना है तो इसे बीच से निपटाना पडेगा। इसके लिये मैने करीब एक महीने पहले अरशी को नशीली गोलियां भी दी थी कि इसे ज्यादा खिला देना तो यह मर जायेगा परन्तु किसी कारण वह नही खिला पायी। इसकी जानकारी भी मृतक आसिफ को लग गयी उसके बाद मृतक आसिफ को हटाने का और कोई तरीका ना सूझ कर आज से करीब 20-25 दिन पहले मैने अपने साथी बिलाल पुत्र कय्यूम निवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी, जीशान पुत्र असलम निवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी, उबैश पुत्र असरफ निवासी पुरानी चुंगी हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड, गुलफाम, दानिश के साथ मिलकर योजना बनायी कि मृतक आसिफ ने मुझे व अरशी को काफी परेशान कर दिया है अब इसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना है। अतः योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 07.10.2025 को शाम करीब 7.30 बजे हम सभी रफीकाबाद फाटक के पास आ गये थे और हमे अरशी ने पहले से ही जानकारी दे रखी थी कि मृतक आसिफ अपनी दूसरी पत्नी जूही जो डासना में रहती है जिसके पास शाम को आसिफ जाता है अतः हम लोगो में से बिलाल मृतक आसिफ के घर के पास रैकी करने लगा और हम लोग सभी फाटक के आसपास मृतक आसिफ का इन्तजार करने लगे जैसे ही आसिफ अपने घर से निकला तो बिलाल ने तुरन्त हमे जानकारी दे दी जिस पर हम लोगो ने फाटक के पास ही स्कूटी से आ रहे आसिफ पर मैने व जिशान, उबैश ने गोली चला दी थी जिससे गोली आसिफ की लगी और हम लोग वहां से मौके से फायर करते हुये भाग गये। उक्त बयान का समर्थन सभी अभियुक्तगण द्वारा किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.रिहान पुत्र इलियास निवासी पुरानी पैठ वार्ड न0 3 रामा चौक डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद

2.बिलाल पुत्र कय्यूमनिवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी

3.जीशान पुत्र असलम निवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी

4.उबैश पुत्र असरफ निवासी पुरानी चुंगी हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड

5.अरसी पत्नी आसिफ निवासी भडभूजो वाली गली मयूर विहार डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद।

फरार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.गुलफाम निवासी उसमान कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद।

2.दानिश निवासी उसमान कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद।

3.फरमान पुत्र इलियास निवासी पुरानी पैठ डासना गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त रिहान पुत्र इलियास पर कुल मारपीट व हत्या के प्रयास के 04 अभियोग थाना वेवसिटी में पंजीकृत है तथा उवैश पुत्र असरफ पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग थाना वेवसिटी में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

साईबर सैल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 19000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 09.10.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा आवेदक श्री सुधीर कुमार पुत्र जयपाल सिंह नि0 सै0 9 विजयनगर के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 19000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 09.10.2025 को श्री सुधीर कुमार पुत्र जयपाल सिंह नि0 सै0 9 विजयनगर के साथ 19000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 09.10.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सैल

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री सूर्यबली मौर्य, तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त लोनी द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 498A/304B भादवि व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त शारिक पुत्र मौ0 नसीम निवासी सकीना मस्जिद पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद को मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.10.2025 को धारा 304B भादवि में 10 वर्ष का कारावास एवं धारा 498A भादवि में 02 वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 24.12.2023 को वादिया के दामाद अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादिया की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजीव कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**श्री सूर्यबली मौर्य** सहायक पुलिस आयुक्त (विवेचक)	**म0मु0आ0 प्रवेश पाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 शशिकान्त** पैरोकार थाना ट्रोनिका सिटी

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री रामेश्वर कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना भोजपुर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजय त्यागी द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/34 भादवि व धारा 25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र उर्फ शैली पुत्र ब्रजपाल 2. सचिन पुत्र मनवीर 3. सोनू पुत्र श्रीपाल निवासीगण ग्राम प्रथमगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद 4. कुलदीप पुत्र वीरपाल सिंह निवासी ग्राम भापा थाना धौलाना जनपद हापुड़ को मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-9 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.10.2025 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25 शस्त्र अधिनियम में 02-02 वर्ष के कारावास तथा 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 14.08.2017 को अपने घर के बाहर सड़क के किनारे पशुओं की देख-रेख के लिये सो रहे वादी के भाई की उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना भोजपुर पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजय त्यागी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**मु0आ0 दीन दयाल शर्मा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 नेम सिंह** पैरोकार थाना भोजपुर